न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 233/2016
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. कलवन्त सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाली सिखाना तह संगरिया जिला हनुमानगढ
2. शमशेर सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ
4. गगनदीप सिंह पुत्र हरनारायण सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ

**–वादीगण**

**बनाम्**

1. कौर सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत) (विलोपित)
2. बलदेव सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ
3. जसकरण सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ
4. हरनारायण सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

**–प्रतिवादीगण**

उपस्थित :–1. श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू –वकील वादीगण
2. श्री गुरमीत सिंह कलसी –वकील प्रति 2 ता 4

**निर्णय** **दिनांक :–** 22.3.2023

वादीगण कलवन्त सिंह वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद दावा बाबत् ईस्तकरार हक के तहत दिनांक 21–6–2016 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता सिविल प्रकिया सहिंता के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है दावा की सही स्थिती को समझने के लिए हमारे परिवार की वशावली को समझना अत्यन्त आवश्यक है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है हमारे परिवार की कृषि भूमि चक 9.एन.के.आर खाता स 6/6 खाता कौर सिंह वगैरा ज.स 2069–2072 मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त चक के उक्त खाता की नकल जमाबन्दीया संलग्न वादपत्र है। कि राजस्व रिकार्ड मे प्रति स 1 के नाम दर्ज आराजी मे उनके पुत्रो प्रति स 2 ता 4 का जन्म से ही विरास्तन हक व हिस्सा बनता है किन्तु प्रति स 1 ने अपने हक व हिस्सा का परित्याग प्रति स 2 ता 4 के पक्ष मे कर दिया है अत प्रति स 1 के नाम दर्ज आराजी के प्रति स 2 ता 4 ही खातेदार काश्तकार हे प्रतिस 2 को विरास्तन प्राप्त आराजी वादी स 1 व 2 की जददी जायदाद है जिसमे वादी स 1 व 2 का प्रति स 2 के

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

साथ विरास्तन हक व हिस्सा बनता है किन्तु प्रति स 2 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी स 1 व 2 के पक्ष मे कर दिया है अत प्रति स 2 का उक्त आराजी मे कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है इसी प्रकार प्रति स 3 को विरास्तन प्राप्त आराजी वादी स 3 की जददी जायदाद है। जिसमे वादी स 3 प्रति स 3 के साथ विरासतन हक व हिस्सा बनता है किन्तु प्रति स 3 ने अपने समस्त हक व हिस्से का परित्याग वादी स 3 के पक्ष के कर दिया है अत प्रति स 3 का उक्त आराजी मे कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है इसी प्रकार प्रति स 4 को विरास्तन प्राप्त आराजी वादी स 4 की जददी जायदाद है जिसमे वादी स 4 का जन्म से ही प्रति स 4 के साथ विरास्तन हक व हिस्सा बनता है किन्तु प्रति स 4 ने अपने समस्त हक व हिस्से का परित्याग वादी स 4 के पक्ष मे कर दिया है अत प्रति स 1 के नाम दर्ज आराजी के वादीगण ही खातेदार काश्तकार है जिसमे 1/3 हिस्सा का हक वादी स 1 व 2 का ब.हि.ब का व 1/3 हिस्सा का हक वादी स 3 क 1/3 हिस्सा का हक वादी स 4 का बनता है इसमे प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है इसी कदर की घोषणा वादीगण प्राप्त करना चाहते है।कि वादीगण दावा की दफा 4 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप हम वादीगण को दावा की दफा 3 मे दर्ज आराजी का दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकर होना मान लो व इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे प्रतिवादीगण व वादीगण के निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण है कि वाद वादी बाबत ईस्तकरार हक का है जो कि 1 रू के न्यायशुल्क पर पेश है व समायत अदालत हाजा व अन्दर मियाद है।

लिहाजा वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि बाद तहकिकात वाद वादी निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे। – घोषण इस अमर की जारी फरमाई जावे कि चक न 9 एन.के.आर खाता स 6/6 खाता कौर सिंह वगैरा ज.स 2069–2072 मे प्रति स 1 के नाम दर्ज आराजी के वादीगण ही खातेदार काश्तकार है जिसमे 1/3 हिस्सा का हक वादी स 1 व 2 का ब.हि.ब का व 1/3 हिस्सा का हक वादी स 3 का व 1/3 हिस्सा का हक वादी स 4 का बनता है इसमे प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से अकंन किया जाकर उक्त खाता से प्रति स 1 का नाम कलमजन किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 ने सहमति का ज्वाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 5 का जबाव दावा पेष हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकिल वादीगण ने प्रतिवादी स 1 कि फौत होने पर वारीसान का पहले से ही शिर्षक मे अकंन होने के कारण पर्थाना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी प्रस्तुत किया । जिसे स्वीकार

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बांगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया । वादी स 2 द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्षाया गया। तथा चक नं. 9 एन.के.आर ज.स 2069–2072 के खाता सं. 6/6 नहरी कृषि भूमि जो प्रदर्श1 है साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण का खाता प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 9 एन.के.आर ज.स 2069–2072 के खाता सं. 6/6 दर्ज आराजी का के वादीगण ही खातेदार काश्तकार है जिसमे 1/3 हिस्सा का हक वादी स 1 व 2 का ब.हि.ब का व 1/3 हिस्सा का हक वादी स 3 का व 1/3 हिस्सा का हक वादी स 4 का बनता है इसमे प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से अकंन किया जाकर उक्त खाता से प्रति स 1 का नाम कलमजन किया जावें। प्रतिवादीगण के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस मे वादी के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 किये गए व विरासतन इन्तकाल का अवलोकर किया। बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## –:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 9 एन.के.आर ज.स 2069–2072 के खाता सं. 6/6 दर्ज आराजी का के वादीगण ही खातेदार काश्तकार है जिसमे 1/3 हिस्सा का हक वादी स 1 व 2 का ब.हि.ब का व 1/3 हिस्सा का हक वादी स 3 का व 1/3 हिस्सा का हक वादी स 4 का बनता है इसमे प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से अकंन किया जाकर उक्त खाता से प्रति स 1 का नाम कलमजन किया जावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/3/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/3/2023

( रमेश देव )
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया**

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 233/2016
वाद पत्र अं.धारा :– 88 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. कलवन्त सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखाना तह संगरिया जिला हनुमानगढ
2. शमशेर सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ
4. गगनदीप सिंह पुत्र हरनारायण सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ

**–वादीगण**

**बनाम्**

1. कौर सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)(विलोपित)
2. बलदेव सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ
3. जसकरण सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ
4. हरनारायण सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

**–प्रतिवादीगण**

**दिनांक :–**

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादीगण व श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील प्रतिवादी सं. 2 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 9 एन.के.आर ज.स 2069–2072 के खाता सं. 6/6 दर्ज आराजी का के वादीगण ही खातेदार काश्तकार है जिसमे 1/3 हिस्सा का हक वादी स 1 व 2 का ब. हि.ब का व 1/3 हिस्सा का हक वादी स 3 का व 1/3 हिस्सा का हक वादी स 4 का बनता है इसमे प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से अकंन किया जाकर उक्त खाता से प्रति स 1 का नाम कलमजन किया जावें।
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

निज....X....नल..........X....मुब्लिक..........X...निल........X..........बाबत..........X...निल.......X....
खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ..........अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.3.2023 जारी किया गया।

22/3/2023

( रमेश देव )

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official